100/3

गोपनीय

उत्तर मध्य रेलवे
NORTH CENTRAL RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
महाप्रबन्धक सतर्कता,
सूबेदारगंज, प्रयागराज–211015

SIV NO:- 07/2021

No. 20201200259/PC/V5/N/ALD **Dated: 21.10.2021**

प्रमुख मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता,
उ.म.रे., प्रयागराज।

विषयः AMC के अन्तर्गत S&T उपकरणों के Preventive मेंटेनेंस के लिए ठेकेदार द्वारा किये जा रहे विजिट के मद में प्रत्येक दो Subsequent Visit में एक नियत गैप मेंटेन किये जाने के लिए दिशा–निर्देश जारी करने के सम्बन्ध में।

उत्तर मध्य रेलवे के एक मण्डल के S&T विभाग द्वारा वर्ष 2019 में Efftronics मेक Data Logger के 5 साल की AMC का एक कार्य M/s Efftronics System Pvt. Ltd. को अवार्ड किया गया, जिसमें मण्डल के स्टेशनों एवं रिले हट में लगे उक्त आइटम का मेन्टेनेंस (preventive एवं breakdown) का कार्य किया जाना शामिल है। निविदा शर्तों के अनुसार उक्त उपकरण के preventive मेंटेनेंस कार्य के लिए फर्म के सर्विस इंजीनियर द्वारा प्रत्येक लोकेशन पर तिमाही विजिट करके उस उपकरण से सम्बन्धित सभी पैरामीटर को चेक करना है, ताकि भविष्य में होने वाले फेलियर को रोका जा सके। आगे सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि उक्त निविदा के अन्तर्गत कुल 111 लोकेशनों पर मेंटेनेंस कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा कार्य के शुरुआत दिनांक 10.06.2019 से 09.03.2021 तक कुल सात Quarterly Visit किया गया, जिसमें ज्यादातर लोकेशनों पर Subsequent प्रत्येक दो विजिट ठेकेदार द्वारा या तो 45 से 60 दिनों में किया गया या फिर 125 से 160 दिनों के अन्तराल के बाद किया गया है। किसी–किसी लोकेशनों पर यह अन्तराल करीब छह महीने भी पाया गया। अतः ठेकेदार द्वारा किसी भी लोकेशन पर दो Subsequent Visit अपनी सुविधानुसार कभी भी किया जा रहा है। जबकि प्रत्येक तिमाही के अन्तर्गत किये जाने वाले दो Subsequent विजिट के बीच नियत गैप (सामान्यतया 90 दिनों का) ठेकेदार द्वारा रखा जाना चाहिए, जिससे कि सम्बन्धित उपकरण का फेलियर जो 90 दिन से ज्यादा समय के बाद Preventive Maintenance नहीं होने के कारण हो सकता है, उसे रोका जा सकता है। यद्यपि निविदा के स्पेशल कंडीशन में प्रत्येक तिमाही में किसी एक लोकेशन पर किये जाने वाले AMC schedule में कितने गैप को सामान्य तौर पर रखकर ठेकेदार द्वारा विजिट किया जाना चाहिए, के बारे में नहीं लिखा गया है। जिसके कारण उक्त विजिट ठेकेदार द्वारा अपनी सुविधानुसार कराया जा रहा है। निविदा शर्तों के अनुसार ठेकेदार को कम से कम 03 अनुभवी एवं सक्षम सर्विस इंजीनियरों को रखकर कार्य सम्पन्न कराया जाना है परन्तु यदि किसी कारण से वे कर्मी कार्य हेतु उपलब्ध नहीं हो पाते हों, या फिर फर्म द्वारा लगाये जाने वाले कर्मियों की संख्या कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए काफी कम हो जिससे फर्म द्वारा अनियमित तरीके से किसी लोकेशन पर एक Quarter के समयावधि में किसी भी दिन विजिट किया जाता हो, ऐसी सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा की जा रही इस प्रकार की अनियमितता के लिए निविदा शर्तों में किसी तरह के पेनाल्टी का कोई प्रावधान नहीं है।

इस प्रकार की अनियमितताएं, हो सकता है कि S&T विभाग द्वारा कराये जा रहे अन्य AMC कार्यों में भी हो रही होंगी। अतः इस कमी को दूर करते हुए AMC को अत्यधिक प्रभावी बनाये जाने के लिए निम्न सुझाव दिये जाते हैं:–

AMC के अन्तर्गत Preventive Maintenance हेतु फर्म के साइट इंजीनियर द्वारा किसी एक लोकेशन पर किसी Quarter/Month के एक नियत तिथि में आइटम का Preventive Maintenance विजिट के बाद उसके अगले Quarter/Month में उस लोकेशन पर एक नियत गैप बनाकर ही सामान्य तौर पर विजिट किया जाना चाहिए और आगे आने वाले Quarters/Months में यह गैप एक समान रूप से मेंटेन भी किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में ठेकेदार के विरुद्ध उचित पेनाल्टी भी लगाया जाना चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सुझाव को दृष्टिगत् रखते हुए उचित दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें जिससे AMC के अन्तर्गत किये जा रहे उपकरणों के मेंटेनेंस कार्य का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो सके। कृत् कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने की भी व्यवस्था करें।

इसे वरि0 उप महाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

21.10.2021
(धर्मेन्द्र कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/बिजली
कृते महाप्रबन्धक सतर्कता